न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2016 (राजसमन्द डिकी)

श्री चतरा पिता रायमल जी गुर्जर निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भेरा बालिग पिता दल्ला जी गुर्जर निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. मु0 हरजु बालिगा पुत्री रायमल जी गुर्जर पत्नी डाउ जी गुर्जर बालिग निवासी धवाला पोस्ट चिताम्बा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री मांगु पिता हरीराम जी गुर्जर निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
4. मु0 चान्दी पिता हरीराम जी गुर्जर पत्नी भेरा जी गुर्जर निवासी पिछोला पोस्ट बदनोर जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मु0 मथरा पुत्री हरीराम जी पत्नी सुआ जी गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट ज्ञानगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मु0 जस्सु पत्नी हरीराम जी गुर्जर निवासी अर्जनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री धन्ना पिता कल्ला जी गुर्जर निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री भागू पिता हीरा जी गुर्जर पत्नी निवासी अर्जुनगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
9. मु0 हगामी पुत्री हीरा जी गुर्जर पत्नी मांगीलाल जी गुर्जर निवासी हदवा सकसा वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
10. मु0 लादु पुत्री हीरा जी गुर्जर पत्नी छोगा जी गुर्जर निवासी पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
11. श्रीमती कंकु पत्नी हीरा जी गुर्जर निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
12. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक
23–06–2016 प्रकरण सं.112/2012 रेवेन्यू वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री प्रदीप शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री डी.डी. देवपुरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सांख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12

————/————

निर्णय **दिनांक 08–01–2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विभाजन का वाद पेश कर वादपत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमियों का राजस्व रेकार्ड के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन का वाद पेश किया। उपरोक्त वादपत्र के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या–1 (अपीलान्ट) व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 8 की और से खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि कतिपय आराजीयात अकेले प्रतिवादीगण के कब्जे में है तथा भूमि का विभाजन पहले से हो चुका है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

1. ***आया वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी कलम संख्या 2 में वर्णित में संयुक्त खातेदार होकर उसमें 1/6 हिस्सा वाी भेरा का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चतरा व हरजू का व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का है तथा कलम संख्यया 3 में वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की होकर उसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/3 हिस्सा है। उक्त मुताबिक मीट्स एवं बाउण्ड के आधार पर समान बंटवारे के हकदार है?*** ***..... वादी***
2. ***आया पक्षकार में पूर्व में आपसी बंटवारा हो चुका है, जिससे वादी को बंटवारे के बजाय कब्जे का दावा करना चाहिये?*** ***..... प्रतिवादी***

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 8–6–2016 को रखा गया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में पक्षकारान को उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को दिनांक 23–6–2016 को लोक अदालत में रखे जाने का आदेश दिया। दिनांक 23–6–2016 को लोक अदालत में वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 व 12 की उपस्थिति में प्रकरण में राजस्व रेर्काड के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड भूमियों का विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 30–6–2016 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा यह अपील दिंनाक 24–8–2016 को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–6–2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 30–6–2016 दोनों के विरूद्ध पेश की।

प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री दोनों के विरूद्ध एक ही अपील विधिक रूप से पेश किया जाना अनुमत नहीं है। प्रकरण में न्यायहित में हम दोनों पर विवेचन करना उचित समझते है।

उपरोक्त अपील के सन्दर्भ में रेस्पोन्डेन्ट वादी की और से अधिवक्त श्री डी.डी. देवपुरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री के समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अंतिम डिक्री भी विधिक रूप से बिना सुनवाई व विधिक प्रक्रिया के पारित की गई है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की प्लीडिंग्स, बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार लोक अदालत के शिविर दिनांक 23–6–2016 की सूचना अधिवक्तागण को दे दी गई थी। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में वस्तुतः प्लीडिंग्स के आधार पर बनी तनकीयात दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू है। विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड होना या पूर्व का विभाजन मान्य होने पर ही प्रारम्भिक डिक्री में निर्णय किया जाना था। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोन्डेन्ट के राजस्व रेकार्ड में वर्णित हक हिस्से के सन्दर्भ में सिर्फ यह कथन किया है कि पूर्व विभाजन के आधार पर कतिपय आराजीयात पर उनका एकल आधिपत्य है। उक्त आधिपत्य का आधार पुराना बंटवाड़ा होना बताया है। वस्तुतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद किसी मौखिक या पूर्व बंटवाड़े को विधि अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारे से कदापि तरजीह नहीं दी जा सकती, न ही उसे अधिक विधिक वरीय माना जा सकता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में राजस्व रेकार्ड के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन का जो आदेश दिया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाते। क्योंकि एकल आधिपत्य का तथ्य भी प्रारम्भिक डिक्री के बाद विभाजन प्रस्ताव व अंतिम डिक्री के समय विनिश्चित किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा प्रारम्भिक डिक्री की अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

प्रकरण में जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है हम यह पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री के बाद प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार तहसीलदार देवगढ़ अधिकृत अधिकारी विभाजन के स्थान पर विभाजन प्रस्ताव अन्य राजस्व कर्मी द्वारा तैयार किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा उस पर प्रमाणित अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार वांछित उभयपक्ष को सुचित किये बिना उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। तद्नुसार अपीलान्ट प्रतिवादी को बिना सुने व सुचित किये अनाधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव

आधार पर पारित उक्त अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 30–6–2016 अपस्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष को सूचित कर तैयार करवाये ये विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्तियां यदि कोई प्राप्त होती है तो उस पर विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–3–2019 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर